झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शिकायत) 10/2022– 475

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 27.05.2022

विषयः– देवघर जिले में राशन वितरण में अनियमितता संबंधी प्रकाशित समाचार पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक–16.05.2022 को देवघर जिले में राशन वितरण में अनियमितता संबंधी समाचार प्रकाशित हुई है, जिसमें महालेखाकार, झारखण्ड के ऑडिट रिपोर्ट में लाभुकों को वितरित दिखाए गए 551 क्विंटल चावल के वितरण से संबंधित प्रमाण/अभिलेख उपलब्ध नहीं करने का उल्लेख किया गया है।

अतः उक्त प्रकाशित समाचार के कतरन की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त मामले की जाँच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

26/5/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

20

हिन्दुस्तान

दिनांक - 16 मई 2022

ऑडिट रिपोर्ट | लाभुकों का न तो हस्ताक्षर है, न अंगूठे का निशान, चावल वितरण हुआ नहीं और उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया

देवघर जिले में गड़बड़ी, 550 क्विंटल चावल किसे बांटा, प्रमाण नहीं

■ चंदन मिश्र

रांची। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभुकों के बीच चावल वितरण में भारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। लाभुकों को बांटे गये 550 क्विंटल चावल का कोई हिसाब-किताब नहीं है। झारखंड के महालेखाकार की ऑडिट जांच रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि किस तरह सरकारी राशि का दुरुपयोग और गरीबों को मिलनेवाले खाद्यान्न के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

ऑडिट जांच में पाया गया है कि तीन प्रखंडों द्वारा लाभुकों को वितरित दिखाए गए 551 क्विंटल चावल के विरुद्ध कोई प्रमाण जैसे प्राप्ति के विरुद्ध लाभुकों का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान और संबंधित वितरण पंजी या अभिलेख न तो उपलब्ध थे और न ही ऑडिट जांच के दौरान प्रस्तुत किया जा सका। जिसमें दिखाया गया चावल का वितरण संदेहास्पद प्रतीत होता है।

प्रति परिवार 10 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराना था: खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा 23 मार्च 2020 को देवघर के उपायुक्त को 30 लाख रुपए उपलब्ध कराते हुए यह निर्देश दिया गया था कि वैसे व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन उन्हें अनाज पाने की योजना में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें प्रति परिवार 10 किलोग्राम स्थानीय बाजार समिति की दर पर खरीद कर एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जाए। चावल का वितरण प्रखंड स्तर, शहरी वार्ड स्तर, पंचायत स्तर, जन वितरण प्रणाली दुकान स्तर पर निगरानी की देखरेख में कराया जाना था।

साथ ही प्रति किलोग्राम के विरुद्ध मिलने वाले एक रुपए की राशि का खर्च संबंधित उपायुक्तों द्वारा समुचित वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए करना था। साथ ही इसका पूरा लेखा-जोखा रखना था।

1.47 करोड़ रुपए चावल खरीद कर बांटने को मिले थे: महालेखाकार की ऑडिट टीम ने जब जांच शुरू की तो इसमें भारी अनियमितताएं सामने आयीं। देवघर के उपायुक्त को एक करोड़ 47 लाख रुपए चावल खरीद कर बांटने को मिले। इनमें से एक करोड़ 46 लाख 99 हजार 802 रुपए का उपयोगिता प्रमाणपत्र (शेष राशि 198 रुपए की वापसी पत्रांक 432/ नजारत दिनांक 24 अगस्त 2020) खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग के प्रबंध निदेशक रांची को भेज दिया।

ऑडिट जांच में खाद्यान्न का वास्तविक वितरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र के भेजने के नमूना जांच में पाया गया कि आवंटित पूरी राशि के चावल लाभुकों के बीच बांटा ही नहीं गया है। शेष राशि और चावल की ऑडिट जांच (अक्तूबर 2021) तक प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और जन वितरण प्रणाली के पास पड़ा हुआ है।

किस प्रखंड में चावल वितरण में हुई गड़बड़ी

प्रखंड	कुल वितरित चावल	अभ्युक्ति
मधुपुर	451 क्विंटल चावल	पूरी वितरित चावल की मात्रा के विरुद्ध एक भी लाभुक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं मिला
सारठ	99.60 क्विंटल	वितरित दिखाए गए 99.60 क्विंटल चावल की मात्रा के विरुद्ध लाभुक प्राप्ति हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान या वितरण पंजी उपलब्ध नहीं

किस प्रखंड में कितना वितरण व कितना शेष रह गया अनाज

प्रखंड	लाभुकों को वितरण	शेष अनाज (क्विंटल)	अभ्युक्ति
देवीपुर	150.90 क्विंटल	20.80 क्विंटल	जनवितरण दुकान में
पालोजोरी	240 क्विंटल	16.50 क्विंटल	प्रखंड कार्यालय में
देवघर	251.80 क्विंटल	4.50 क्विंटल	बीएसओ/दुकान में
मधुपुर	174.20 क्विंटल	04.10 क्विंटल	बीएसओ/दुकान में
मार्गोमुंडा	72.90 क्विंटल	3.20 क्विंटल	बीएसओ/दुकान में
सारठ	128.10 क्विंटल	2.70 क्विंटल	बीएसओ/दुकान में
सोनारायठाढ़ि	74.10 क्विंटल	1.50 क्विंटल	बीएसओ/ दुकान में
करौं	89.90 क्विंटल	1.20 क्विंटल	बीएसओ/दुकान में

हिन्दुस्तान 16/5/22